# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

**GCMS NO.-2020/00170**

मिसल नम्बर– 60 / 2020

1.भान सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह आयु 76 वर्ष जाति राजपूत

2.सरस्वती देवी पत्नी श्री भान सिंह आयु 72 साल जाति राजपूत निवासीगण सरकारी स्कूल के सामने वाली गली श्रीरामनगर कच्ची बस्ती कोटा थाना उद्योग नगर जिला कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.विक्रम सिंह पुत्र श्री भान सिंह जाति रजपूत

2.गीता बाई पत्नी विक्रम सिंह जाति राजपूत

3.आकाश पुत्र श्री विक्रम सिंह जाति राजपूत निवासीगण सरकारी स्कूल के सामने वाली गली श्रीरामनगर कच्ची बस्ती कोटा थाना उद्योग नगर जिला कोटा

4.केदार सिंह पुत्र श्री भान सिंह जाति राजपूत निवासीगण सरकारी स्कूल के सामने वाली गली श्रीरामनगर कच्ची बस्ती कोटा थाना उद्योग नगर जिला कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 31/12/24

उपस्थिति:–

1.श्री देवानन्द प्रार्थीगण अधिवक्ता।

2.अप्रार्थीगण नं0 1, 2, 3 स्वयं

3.श्री नरेन्द्र शर्मा अप्रार्थी नं0 4 अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सरकारी स्कूल के सामने वाली गली श्रीरामनगर कच्ची बस्ती थाना उद्योग नगर कोटा, जिला कोटा के रहने वाले है। प्रार्थी क्रम 1 श्रीराम रेयंस में नौकरी करता था, अपनी स्वअर्जित कमाई से मकान सरकारी स्कूल के पास श्रीराम नगर कच्ची बस्ती कोटा में एक मकान रहने के लिये बनाया था जिसमें 4 कमरे, लेट–बाथ, किचिन बना हुआ है तथा जिसमें नल बिजली कनेक्शन हो रहे है जिसका पटटा प्रार्थी क्रम 1 के नाम है। प्रार्थीगण के पुत्र विक्रम सिंह व विक्रम की पत्नि गीता बाई, विक्रम का पुत्र आकाश सिंह, के द्वारा दो कमरे, लेटबाथ, रसोई आदि पर कब्जा करके रह रहा हैं तथा प्रार्थीगण का पुत्र केदार सिंह एक कमरे पर कब्जा कर रह रहा हैं। विक्रम सिंह व विक्रम की पत्नि गीता बाई, विक्रम का

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

(नियम 26)

...शालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट... मुकाम... कोटा

बनाम... विक्रम, सीता, आकाश

पुत्र आकाश सिंह के द्वारा आये दिन प्रार्थीगण के साथ गाली गलोच करते आ रहे थे तथा मारपीट करते है एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को किसी प्रकार का भरण पोषण आदि भी नही दिया जा रहा है और न ही खाना पीना आदि दिया जा रहा और न ही ईलाज आदि करवाया जा रहा है तथा केदार सिंह के द्वारा भी कोई देखभाल नही की जा रही हैं तथा विक्रम सिंह व उसकी पत्नी व बच्चो के द्वारा प्रार्थीगण के साथ आये दिन लडाई झगडा, धक्का मुक्की करते है तथा विक्रम घर पर आता है तो शराब के नशे में आता है तथा इसकी पत्नी व बेटा बेटी सभी मिलकर मेरे साथ एवं मेरी पत्नी के साथ गाली गलोच करते है। धक्का मुक्की करते है और घर से बाहर निकाल देते है तथा कुण्डी लगाकर ताला लगा देते है लेटबाथ को भी अपने कब्जे में कर लिया है। जिसका उपयोग भी नही करने देते हैं पानी की टंकियो को भी अपने कब्जे में कर लिया है जिसमें पानी भरने नही देते है तथा नल बिजली आदि का उपयाग व उपभोग नही करने देते है तथा कुछ कहने पर मेरे व मेरी पत्नी के साथ अप्रार्थीगण गाली गलोच करते है यह मेरे घर से मुझे बेदखल करना चाहते है जबकि घर मेरा खुद की कमाई से बनाया हुआ है, मेरे नाम से उक्त मकान का पटटा बना हुआ है, अप्रार्थीगण जोर जबरन से मुझे मेरे मकान से निकालकर मकान के हडपना चाहते है तथा मुझे बाहर का एक कमरा दे रखा है तथा बाकी पूरे मकान पर अप्रार्थीगण के द्वारा कब्जा किया हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को भरण पोषण नही करते है और बीमार होने पर देखभाल नही करते है, ईलाज–दवा आदि नही करते है इधर उधर से रूपये मांग कर ईलाज व भोजन का इंतजाम करते है। हम बहुत वृद्ध व्यक्ति है प्रार्थीगण कोई कामकाम नही कर पाते है हमारे पास आय का कोई साधन नही है। अप्रार्थीगण के द्वारा नल बिजली का बिल जमा नही करते है तो हम लोगो ने सोने चांदी के जेवर बेचकर बिल जमा कर दिये है अब हमारे पास कुछ भी नही बचा है नल बिजली का बिल नही चुका सकते है। दो वक्त भोजन भी मिलना मुश्किल हो गया हे तथा अप्रार्थीगण विक्रम व उसकी पत्नी के द्वारा जान से मारने की धमकी दे रहे हे तथा मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान कर रखा हैं तथा अप्रार्थीगण के द्वारा घर से बेदखल कर दिया गया है तथा घर में घुसने नही दिया जा रहा है। पूरे मकान पर कब्जा कर लिया गया है तथा इस संबंध में प्रार्थीगण के द्वारा थाने में व एस०पी० साहब कोटा शहर को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नही हुई क्योकि अप्रार्थी विक्रम पुलिस वाला है इसलिय कार्यवाही नही होती है अप्रार्थी विक्रम व उसके पत्नी, बच्चो के द्वारा कहा जाता है कि तुम लोग हमारा कुछ नही बिगाड सकते हो, मैं पुलिस वाला हूँ मै जैसा चाहुंगा वैसी कार्यवाही पुलिस करेगी। इसलिये थाने के द्वारा प्रार्थीगण की आज तक कोई कार्यवाही नही की गई। प्रार्थीगण वृद्धजन व्यक्ति है प्रार्थीगण के द्वारा मजूदरी भी नही हो पाती है क्योकि प्रार्थीगण के पास आय का कोई साधन नही हैं इसलिये अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तथा अपना ईलाज आदि भी कराने में सक्षम नही है हमेशा बीमार रहते है इसलिये भूखे मरने की नौबत आ गयी है तथा प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को अपने मकान में नही रखना चाहते है। अप्रार्थी विक्रम सिंह एफसी बेल्ट नं० 572 कार्यालय पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर, कोटा में पदस्थापित जिसका मासिक वेतन 70.000/–रूपये प्रतिमाह लगभग है इसलिये अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण को प्रतिमाह 30,000/–रूपये भरण पोषण व ईलाज आदि के लिये दिलवाये जाना आवश्यक है तथा प्रार्थीगण के मकान से अप्रार्थीगण को बेदखल करके मकान पर कब्जा दिलाया जाना आवश्यक हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण विक्रम सिंह व विक्रम सिंह की पत्नी, पुत्र व पुत्री तथा केदार सिंह से मकान खाली

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

करवाकर सुपुर्दगी में दिलवाया जावे तथा अप्रार्थीगण से 30,000/– रूपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि भी दिलवाये जाने का आदेश फरमाया जाये।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण नं0 1, 2, 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्णित तथाकथित मकान वाके सरकारी स्कूल के सामने वाली गली, श्रीराम नगर कच्ची बस्ती कोटा स्थित मकान स्वअर्जित आय से निर्माण नही करवाया गया है, बल्कि अप्रार्थी संख्या–1 विक्रम सिंह जो पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है, ने अपने जी.पी. एफ. से लोन लेकर दो कमरो का निर्माण करवाया था, इस प्रकार उक्त मकान प्रार्थीगण का स्वअर्जित मकान नही है। अप्रार्थी द्वारा बनाये गये कमरो, लेट–बाथ, रसोई पर विगत 25 वर्षो से अप्रार्थी के पावर पजेशन में चला आ रहा है। वास्तविकता इस प्रकार से है कि प्रार्थी क्रम–1 सन 1998 में श्रीराम रेयन्स से रिटायर्ड हुऐ और रिटायर्ड होने के उपरान्त समस्त राशि का निवेश प्रार्थीगण ने अपने खाते में कर दिया था और रिटायर होने के बाद प्रार्थीगण अपने पैतृक मकान (गांव) ग्राम बाबुमुडेरा जिला खुशीनगर उत्तर प्रदेश जिसके निर्माण हेतु भी अप्रार्थीगण द्वारा अपने जी. पी. एफ से लोन लेकर गांव में मकान का निर्माण करवाया और जिसमें प्रार्थीगण निवास कर शांतीपूर्वक जीवन यापन करते चले आ रहे है। अंकित तथ्य बिल्कुल झूंठे व मनगंढत दर्ज करवाये गये है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण का पूरा ख्याल रखा है। और उनकी हर जरूरत व इच्छा की पूर्ति की है, परन्तु प्रार्थीगण के मन में बदनियती आ गयी है और प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को मकान से बेदखल कर मकान को हड़पना चाहते है, इसी उददेश्य की पूर्ति हेतु प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के आशय से झूंठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी क्रम–1 श्रीराम रेयन्स फैक्ट्री से रिटायर है, जिसे रिटायर के बाद बडी रकम प्राप्त हुई है, जो प्रार्थीगण के पास बैंक में जमा है तथा इसके अलावा प्रार्थीगण के पास गांव की खेती बाडी है, जिसका सम्पूर्ण पैसा प्रार्थीगण ही रखते है तथा इसके अलावा अप्रार्थीगण समय – समय पर प्रार्थीगण की सहायता करते है, इस कारण से प्रार्थीगण के सामने भरण–पोषण की समस्या आना व उनके भूखो मरने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थीगण हर प्रकार से अपना भरण–पोषण, हारी बीमारी आदि का इलाज करवाने में पूर्णतया सक्षम है। अप्रार्थी संख्या–1 के पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत होना स्वीकार है, जिसे कुल 35–40 हजार रूपये वेतन मिलता है, जिसमें अप्रार्थी संख्या–1 प्राथीगण का बडा पुत्र होने से अपनी जिम्मेदारियो को निभाता आया है और हर समय अप्रार्थी संख्या 1 ने सहायता की है, उक्त मकान में स्वंय के पैसे लगाकर दो कमरो, लेट–बाथ आदि का निर्माण करवाया है, दो कमरो का निर्माण करवाकर उसमें ही अप्रार्थी संख्या 1 निवास करता आया है, इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा जिस प्रकार से अप्रार्थी को बेदखल करने के लिए मांग कर रहे हैं, वह स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी आय से निर्मत करवाया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण की हर समय देखरेख, ऐर, सबेर भरण–पोषण, सेवा सुशुषा की है और आज भी करने के लिए प्रयासरत रहा है और भविष्य में भी रहेंगा। प्रार्थीगण के मन में बदनियती आ जाने के कारण प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से झगडा करके भगाना चाहते है। प्रार्थीगण के तीन पुत्र क्रमशः वकील सिंह पानीपल में इन्जीनियर बिरला कम्पनी में, विक्रम सिंह, कोटा पुलिस विभाग में कांस्टेबल, केदार सिंह जो व्यवसाय/व्यापार करता है। प्रार्थिगण का छोटा पुत्र केदार सिंह जो कि पूर्व में गांव में निवास करता था तथा केदार सिंह अप्रार्थी संख्था 4 के कहे आपराधिक मुकदमें चलने के कारण गांव में ही 8–10 वर्षो में निवास कर रहा था। अप्रार्थी संख्या 4 अपनी रीड

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

की हड्डी (छल्ले) का इलाज करवाने कोटा आया तो अप्रार्थी संख्या 1 विक्रम सिंह ने अप्रार्थी संख्या 4 केदार सिंह का इलाज करवाया तथा सार संभाल की और ठीक होने के उपरान्त बाद में गांव जाकर अपने परिवार के साथ कोटा में आ गया और माता–पिता वाले दो कमरो में से एक कमरे में जबरन निवास करने लग गया और प्रार्थीगण को भडका दिया, जिसके बाद से ही प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वयं के आय से निर्मित करवाये गये दोनो कमरो पर जबरन अप्रार्थी संख्या 1 को बेदखल कर कब्जा करना चाहते है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण से कभी भी बदतमिजी गाली–गलोच नही की, ना ही किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ही किया गया, ना उनके दो कमरो से कभी अप्रार्थीगण ने बेदखल करने का प्रयास किया गया है, बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने प्रार्थीगण का पूरा ख्याल रखा और उनकी सेवा सुश्रुषा की है और उनकी हारी–बीमारी में भी पूरा ख्याल व ध्यान रखा गया है, उनको दवाईयां आदि लाकर दी गयी और उनके भरण–पोषण आदि की व्यवस्था की गयी है, परन्तु प्रार्थीगण अपने छोटे पुत्र अप्रार्थी संख्या 4 केदार सिंह के बहकावे में आकर मकान को हडपने की गरज से व अप्रार्थीगण को निकालने के ध्येय से झुठे तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण पेंशनधारी है जिन्हे पेंशन मिलती है तथा इसके अलावा प्रार्थी संख्या 1 श्रीराम रेयन्स फैक्ट्री से रिटायर है, जिसकी बडी रकम प्राप्त हुई है, जिसे प्रार्थीगण ने इनवेस्ट कर रखा है तथा इसके अलावा गांव में खेती बाडी है, जिससे भी प्रार्थीगण की अच्छी खासी आय है, और प्रार्थीगण अपना भरण–पोषण करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने व मकान से बेदखल करने के आशय से यह प्रार्थना– पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को अप्रार्थी संख्या– 1, 2 व 3 के विरूद्ध सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी नं0 4 की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में अप्रार्थी नं0 4 को कोई आपत्ति नही है।

उभयपक्ष की ओर से बहस में अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। अप्रार्थी कम 1, 2, 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थी कम 1 ने उक्त मकान में पैसे लगाकर दो कमरो, लेट–बाथ आदि का निर्माण करवाया है, दो कमरो का निर्माण करवाकर उसमें ही अप्रार्थी संख्या 1 निवास करता आया है, इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा जिस प्रकार से अप्रार्थी को बेदखल करने के लिए मांग कर रहे हैं, वह स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी आय से निर्मत करवाया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण की हर समय देखरेख, ऐर, सबेर भरण–पोषण, सेवा सुशुषा की है और आज भी करने के लिए प्रयासरत रहा है और भविष्य में भी रहेंगा। प्रार्थीगण की ओर से अपनी बहस में अप्रार्थीगण के उक्त कथन का बलपूर्वक खण्डन नही किया गया है जिस कारण से अप्रार्थी कम 1 का उक्त मकान में दो कमरो, लेट–बाथ आदि का निर्माण किये जाने का कथन उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी कम 4 की ओर से प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाही गई प्रार्थना को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं प्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी

किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी कम 1, 2, 3 को वर्णित मकान सरकारी स्कूल के सामने वाली गली श्रीरामनगर कच्ची बस्ती कोटा थाना उघोग नगर जिला कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। चूंकि अप्रार्थी कम 4 द्वारा प्रार्थीगण की सहायता स्वीकार किये जाने में सहमति व्यक्त की है अतः प्रार्थीगण द्वार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थी कम 4 को उपरोक्त वर्णित मकान सरकारी स्कूल के सामने वाली गली श्रीरामनगर कच्ची बस्ती कोटा थाना उघोग नगर जिला कोटा से बेदखल किया जाता है। साथ ही अप्रार्थी कम 1 को आदेशित किया जाता है कि अपने माता पिता को 5,000/– रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों एवं अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौच इत्यादि नही करें, उपरोक्त वर्णित मकान सरकारी स्कूल के सामने वाली गली श्रीरामनगर कच्ची बस्ती कोटा थाना उघोग नगर जिला कोटा में प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रार्थीगण की सेवा सुशुषा, भोजन आदि दैनिक आवश्यकताओं की व्यवस्था करे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 31/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी